भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/दिल्ली/06/01/2019/एफ.सी /655 दिनॉक: 25.02.2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
एवं वन्यजीव विभाग,
ए–ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन,
आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली–110002

Online Proposal No: FP/DL/Road/36798/2018

विषयः Diversion of 1.81 land for construction of flyover underpass between Mahipalpur by pass road and airport road near Hanuman Mandir-reg.

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव विभाग, दिल्ली का पत्रांक–11(26)/पीएस/पीसीसीएफ/आरएमबी/सीपीडब्ल्यूडी/2018(7)/1545–47, दिनांक–12.02.2019 एवं 15.02.2019.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नई दिल्ली का पत्रांक–11/26/पी0एस0/पी0सी0सी0एफ0/आरएमबी/सीपीडब्ल्यूडी/2018(7)/653–55, दिनांक– 24.01.2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–06.02.2019 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नई दिल्ली के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र महिपालपुर बाईपास रोड एवं एयरपोर्ट हनुमान मन्दिर के निकट फ्लाईओवर अण्डरपास के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 1.81 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

(ख)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 1.81 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निणर्यों के अनुसार "owner ship of land would remain with DDA....."उल्लेखनीय है कि उक्त निर्णय मात्र प्रश्नगत परियोजना हेतु ही निर्गत किया हे आगे की परियोजनाओं में यह निर्णय लागू नहीं होगा। DDA द्वारा उक्त क्षेत्र किमी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा एवं इस क्षेत्र को वन भूमि के रूप में संरक्षित रखा जाएगा एवं उक्त क्षेत्र को किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग के पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति आवश्यक होगी। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रस्ताव में सन्निहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को 'वन स्वरूप' क्षेत्र के रूप में संरक्षित किया जाएगा एवं उक्त क्षेत्र के प्रबंधन हेतु संबंधित कार्य योजना में उसे सम्मिलित किया जाएगा।

2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वनभूमि पर प्रति हे0 कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा यदि 1000 वृक्ष प्रति हे0 चयनित गैर वनभूमि पर पूरा रोपित नहीं हो पा रहा है तो बचे हुए वृक्षों का रोपण अवनत वनभूमि पर किया जा सकता है।

3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांन्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु, पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं एवं एन0पी0वी0 की जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी

6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र– 11–306/2014–एफ0सी0(pt.), दिनांक– 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरानत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी, हेतु एवं अन्य मद् में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक– 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रभागीय वनाधिकारी, पश्चिम, पश्चिम वन प्रभाग, मंदिर लेन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली।
4. एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्रोजेक्ट डिवीजन – III, नई दिल्ली, प्रोजेक्ट जोन, सीपीडब्ल्यूडी, कक्ष नं0 13, ई विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011.
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

25/04/19

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक(के.)